//1//

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद

पीठासीन अधिकारी : – देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)
राजस्व वाद संख्या : – 22/2019

उनवान

1. चतुर्भुज,
2. छोटूलाल,
3. रामप्रसाद,
4. बसराम पि0 उगमाराम,
5. सुगनी,
6. जमना,
7. संतोक पुत्रीया उगमाराम जाति जाट नि. रामबाडी, रामसर, नसीराबाद

—वादीगण :– जरियें अधिवक्ता श्री सीताराम रावत

बनाम्

1 माना **फौत** जरिये वारिसान
1/1. हाथी पुत्र माना
1/2. शांति पुत्री माना
2. धीरा,
3. पूसा,
4. गुमान,
5. बीरम,
6. बन्नी पि. कल्याण जाति गुर्जर नि0 ग्राम कुराडी, नसीराबाद,
7. राज0 सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

——— प्रतिवादीगण :– 1 से 6 अनुपस्थित,
7 जरियें राज. पैरोकार

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188, 92ए राज0 काश्त0 अधि0 1955 व 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

–: निर्णय :– दिनांक :– 16.8.24

वादी द्वारा उक्त वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि ग्राम रामबाडी (रामसर) की निम्न आराजी वादीगण की कयशुदा है जिसका विवरण निम्न प्रकार है :–

चौसाला ख.न.	वंर्किग ख.न.	[illegible]	[illegible] नम्बर	रकबा
300	302	2–7–0	[illegible]46	0.38

उपरोक्त आराजी तत्कालीन खातेदार [illegible] मा ने जरियें पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 07.05.1979 को वादीगण के [illegible] उगमा पुत्र मादू को प्रतिफल राशि प्राप्त कर विक्रय कर दी थी तथा आराजी मुतनाजा का कब्जा व दखल सौंप [illegible] था। केता की मृत्यु हो गयी है जिसके वारिस वादीगण है। [illegible]दीगण का आज भी मौके [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 14:25:07 IST
Reason: SelfAttested

—2

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

कब्जा व आधिपत्य है। विक्रेता के वारिस प्रतिवादी संख्या 1 से 6 है। हाल राजस्व अभिलेख में उक्त आराजी वादीगण के नाम दर्ज करने के बजाय त्रुटिपूर्ण तरीके से प्रतिवादी संख्या 1 से 6 के नाम दर्ज कर दी गयी। जिस कारण प्रतिवादीगण आराजी मुतनाजा पर दखलदांजी कर रहे है तथा अन्यत्र हस्तांतरण करने पर आमादा है। अतः आराजी मुतनाजा का खातेदार वादीगण को घोषित किया जावे। प्रतिवादीगण को जरियें स्थायी निषेघाज्ञा पाबंद किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये, जिस पर प्रतिवादी संख्या 1 से 6 प्रकरण में अनुपस्थित रहे। राज. पैरोकार ने जाहिर किया कि वादी अपना वाद स्वयं सिद्व करे।

प्रकरण का खण्डन नही होने के कारण तनकी कायम नही की गयी।

अधिवक्ता वादी ने वाद के समर्थन में विक्रय पत्र व राजस्व अभिलेख पेश किये तथा साक्ष्य नही पेश करना जाहिर किया।

बहस उभयपक्ष सनुी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्धान अधिवक्ता वादी व राज. पैरोकार की बहस पर मनन किया। ग्राम रामबाडी (रामसर) के चौसाला खसरा नम्बर 300 के वंर्किग खसरा नम्बर 302 रकबा 2–7–0 की आराजी कल्याण पुत्र रामा ने जरियें पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 16.5.79 को उगमा पुत्र मादु को बैचान कर दी। चौसाला जमाबंदी संवत 2018 से 2021 में चौसाला खसरा नम्बर 300 रकबा 2–7–0 की आराजी विक्रेता के पिता रामा पुत्र गोपाल के नाम खातेदारी दर्ज है। वंर्किग जमाबंदी में खसरा नमबर 302 रकबा 2–7–0 कल्याण पुत्र रामा के नाम गैर खातेदारी दर्ज है तथा नार्मान्तकरण संख्या 562 दिनांक 18.7.92 के द्वारा खातेदारी दर्ज हुयी है। चौसाला जमाबंदी में खातेदारी होने के बावजुद उक्त आराजी वंर्किग जमाबंदी में गैर खातेदारी व उसके बाद खातेदारी दर्ज की गयी। वंर्किग जमाबंदी में आराजी मुतनाजा विक्रेता के नाम व चौसाला जमाबंदी में विक्रेता के पिता के नाम दर्ज थी। इस प्रकार स्पष्ट है कि वादीगण के पिता द्वारा उक्त आराजी विधिवत रूप से क्रय की गयी। प्रतिवादीगण प्रकरण में अनुपस्थित रहे है। राज. पैरोकार ने वाद का खण्डन नही किया है। उक्त विक्रय पत्र पंजीकृत है जिसकी सत्यता से इंकार नही किया जा सकता है। तत्कालीन खातेदार ने पूर्ण प्रतिफल राशि प्राप्त कर भूमि का बैचान किया है तथा कब्जा क्रेता को सुपुर्द किया है। विक्रेता की मृत्यु हो गयी है जिसके वारिस प्रतिवादी संख्या 1 से 6 है। आराजी मुतनाजा विक्रय के बाद विक्रेता व उसके वारिसान के खातेदारी अधिकारों का अवसान हो चुका है। अतः उक्त आराजी का हाल अंकन त्रुटिपूर्ण सिद्व होता है। वादीगण आराजी मुतनाजा पर खातेदारी प्राप्त करने के अधिकारी है।

उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादी द्वारा प्रस्तुत वाद **"स्वीकार"** किया जाकर ग्राम रामबाडी प.म. रामसर स्थित आराजीयात हाल खसरा नम्बर 346 रकबा 0.38 की आराजी का खातेदार वादीगण को घोषित किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुना गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 14:25:07 IST
Reason: SelfAttested

नसीराबाद

डिक्री व मुकदमें इब्ताई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

चतुर्भुज बनाम माना

दावा बाबत :– 88, 188 राज. का. अधि0 1955 व 136 भू राजस्व अधिलिनयम 1956

राजस्व मुकदमा नम्बर – 22/2019
पेश करने की दिनांक – 21.02.19

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू देवीलाल यादव (आर. ए. एस)–व हाजिर अभिभाषक सीताराम रावत मुद्दई अभिभाषक राज0 पैरोकार मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद **"स्वीकार"** किया जाकर ग्राम रामबाडी प.म. रामसर स्थित आराजीयात हाल खसरा नम्बर 346 रकबा 0.38 की आराजी का खातेदार वादीगण को घोषित किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक—— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 16 माह 8 सन् **2024** को जारी की गयी।

मुद्दई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत मेहनताना वकील फीस कमिश्नर खर्चा गवाहान बाबत् इजराय हुक्मनामा मुतफरिक	स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अरजी मेहनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत् इजराय हुक्मनामा मुतफरिक
मिजान	मिजान

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 14:25:07 IST
Reason: SelfAttested